

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3306 / 2024

दिनांक : 07.10.2024

श्री विक्रम चौधरी (RJ01029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर को दिनांक 20.09.2024 से 22.09.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम-01, जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/16/2016/ 7959

दिनांक : 07.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 46 दिनांक 23.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री विक्रम चौधरी (RJ01029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम-01, जोधपुर महानगर।


05/10/2024
सहायक रजिस्ट्रार